तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 432 / 2004 / झुंझुनूं हनुमान बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमति ज्योति पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री आत्माराम शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय
दिनांकः– 16–12–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने विचाराधीन अपील में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06–01–2004 बाबत उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2003 बउनवान हनुमान बनाम हनुमान की प्रकरण को तलब किए जाने को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2003 बउनवान हनुमान बनाम हनुमान की पत्रावली अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के विधि सम्मत निस्तारण में तलब किए जाने से न्यायालय को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके कथनों को अस्वीकार कर अनियमितता की है, जबकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील का निस्तारण आलोच्य प्रकरण की पृष्ठभूमि होने के कारण निर्णय प्रदान करने में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 432 / 2004 / झुंझुनूं हनुमान बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07–01–2004 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है। उनका कहना है कि आदेश पारित करना न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकार है तथा मामले में अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य प्रार्थना पत्र में उल्लेखित पत्रावली को तलब किया जाना उचित नहीं समझा। अतः आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 34/2003 बउनवान हनुमान बनाम हनुमान के विचारण के दौरान प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06–01–2004 बाबत उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2003 बउनवान हनुमान बनाम हनुमान की प्रकरण को तलब किए जाने बाबत पेश किया, जिसे न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से अपास्त किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में विवेचित किया कि प्रस्तुत अपील में विचाराधीन आदेश की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है तथा अन्य वाद की पत्रावली प्रस्तुत अपील में तलब करना हम विधि सम्मत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 432 / 2004 / झुंझुनूं हनुमान बनाम हनुमान वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं समझते है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि न्यायालय सुसंगत तथ्यों को अपने निर्णय का आधार बनाती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि विचाराधीन अपील का अन्तिम निस्तारण संबंधित पत्रावली से ही विधि सम्मत तरीके से होने के कारण अन्य पत्रावली के तलब करने के औचित्य को उचित नहीं समझा। मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश स्वविवेकीय है। अतः हमारी सुविचारित राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत पाया जाता है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश गयी हस्तगत निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रकट होने के कारण अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2004 को यथावत बहाल रखा जाता है। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील वर्ष 2004 को पेश की गई तथा उक्त पत्रावली अनर्गल प्रार्थना पत्र की प्रस्तुतीकरण के कारण वर्तमान में अनिर्णित है। अतः उक्त अपील लगभग 15 वर्ष से लम्बित चली आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन अपील में विधिनुसार सुनवाई कर एक माह की अवधि में अन्तिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य